



रजि० नं० एल०डब्ल्यू०/एल०पी० 890

लाहर्संस, नं. उप्प, पी.-41

लाहर्संस द पोस्ट एंड टेलिग्राफ ऑफिस

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 12 जनवरी, 2000

पौष 22, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 117/सह-वि-1-1(क) 4-2000

लखनऊ, 12 जनवरी, 2000

अधिसूचना

विधि

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 11 जनवरी, 2000 को प्रमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाएँ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2000

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2000]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अद्यतन संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह 17 दिसम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(51)

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 30
सन् 1974 द्वारा
यथासंशोधित
और पुनः
अधिनियमित
राष्ट्रपति अधि-
नियम संख्या 11
सन् 1973 की
द्वारा 39-क का
संशोधन

निरसन और
अपवाद

2—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 39-क में, परन्तु में, खण्ड (ब) में शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निम्नलिखित अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से;
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No, 117(2)/XVII-V-1—1 (KA)-4-2000

Dated Lucknow, January 12, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Yojna Aur Vikas (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 11, 2000.

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT
(AMENDMENT) ACT, 2000

(U.P. Act No. 9 of 2000)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 17, 1999.

Amendment of
section 39-A of
President's Act
no. 11 of 1973
as amended and
re-enacted by
U. P. Act no. 30
of 1974

2. In section 39-A of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in the proviso, in clause (a) for the words "one hundred rupees" the words "one thousand rupees" shall be substituted.

(52)

U. P.
Ordinance
no. 26 of
1999

3. (1) The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed.

Repeal and
savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in subsection (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.